रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2003.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 5 अप्रैल, 2004/16 चैत्र, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवम् औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 002, 5 मार्च, 2004

संख्या ईडीएन(टीई)ए(3)12/96.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में विभागाध्यक्ष (स्थापत्यकला) (वर्ग-I, राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग विभागाध्यक्ष (स्थापत्यकला) (वर्ग-I, राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2004 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) अधिसूचना संख्या ई0डी0एन0-11 (टी0 ई0) ए (3) 4/74-II, तारीख 13-5-1986 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग वास्तुकला के विभागाध्यक्ष के पद (वर्ग-I) के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1986 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) परन्तु ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
प्रधान सचिव ।

उपाबन्ध "क"

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में विभागाध्यक्ष (स्थापत्यकला) (वर्ग-I, राजपत्रित) के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम	विभागाध्यक्ष (स्थापत्यकला)
2. पदों की संख्या	2 (दो)
3. वर्गीकरण	वर्ग-I (राजपत्रित)
4. वेतनमान	रुपये 12000-375-13500-400-15900-450-16350.
5. चयन पद अथवा अचयन पद	चयन
6. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु ।	18 से 45 वर्ष : परन्तु सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा पर नियुक्त किए गए पहले से सरकार की सेवा में रत व्यक्तियों सहित अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी : परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा : परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जायेगी जैसी कि सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारीवृंद को नहीं दी जायेगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किये गये थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए विज्ञापित किया जाता है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया जाता है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुबन्ध आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं।

अनिवार्य :
हिमाचल प्रदेश/केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से (स्थापत्यकला) में प्रथम श्रेणी में स्नातकोतर उपाधि सहित समुचित स्तरों पर व्यवसायिक अध्यापन, उद्योग और अनुसंधान में 5 वर्ष का अनुभव।

वांछनीय अर्हताएं :

1. स्थापत्यकला में पी0एच0डी0।
2. हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षणिक अर्हतायें प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं?

आयु : लागू नहीं
शैक्षणिक अर्हताएं : लागू नहीं

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिये विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।
10. भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले पद(पदों) की प्रतिशतता।	शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा।	वरिष्ठ प्राध्यापक (स्थापत्यकला) में से, जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सहित तीन वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर, वरिष्ठ प्राध्यापक (स्थापत्यकला) में से, जिनका वरिष्ठ प्राध्यापक (स्थापत्यकला) और प्राध्यापक (स्थापत्यकला) के रूप में संयुक्त रूप से छः वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके छः वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा, जिसमें से वरिष्ठ प्राध्यापक (स्थापत्यकला) के रूप में 2 (दो) वर्ष की सेवाकाल अनिवार्य है। (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों मे यथाविहित सेवाकाल के लिये इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जायेगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी : परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किये जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे : परन्तु उन सभी पदधारियो की, जिन पर प्रोन्नति के लिये विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, इनमें से जो भी कम हो, होगी :

	परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धित विचार के लिये अपात्र हो जाता है, वहां उमसे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जायेगा/समझे जाएंगे। **स्पष्टीकरण**.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अधीन भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिये गये हों या जिसे ऐक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अधीन भर्ती किया गया हो व इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिये गये हों। (2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलो में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरण पद पर की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी : परन्तु उपर्युक्त यथा निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना।	जैसी कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो
14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा।	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन।	सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर और यदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम

	इत्यादि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।
16. आरक्षण	उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी ।
17. विभागीय परीक्षा	सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी ।
18. शिथिल करने की शक्ति	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी ।

[*Authoritative English Text of this Department Notification No. EDN(TE)A*(3)-12/96, *dated* 5-3-2004, *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL AND INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 5*th March*, 2004

No. EDN(TE)A(3)-12/96.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H. P. Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Head of Department (Architecture) (Class-I Gazetted) in the department of Technical Education, Vocational & Industrial Training, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Technical Education, Vocational and Industrial Training Department, Head of Department (Architecture) (Class-I, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2004.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Repeal and savings.*—(1) The Himachal Pradesh Technical Education Department, Recruitment and Promotion to the post of Head Department of Architecture (Class-I) Rules, 1986 notified *vide* notification No. EDN-II(TE)A(3)4/74-II, dated 13-5-1986 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken there under, the rules so repealed under sub-rule (1) supra shall be deemed to have been validily made or done or taken under these rules.

By order,

Sd/-
Principal Secretary.

ANNEXURE "A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF HEAD OF DEPARTMENT, (ARCHITECTURE) IN THE PAY SCALE OF RS. 12000—16350 (CLASS-I, GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL AND INDUSTRIAL TRAINING HIMACHAL PRADESH

1. Name of the post	Head of Department (Architecture)
2. Number of posts	2 (Two)
3. Classification	Class-I (Gazetted)
4. Scale of pay	Rs. 12000-375-13500-400-15900-450-16350.
5. Whether selection post or non-selection post?	Selection
6. Age for direct recruitment	Between 18 and 45 years: Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *ad hoc* or on contract basis : Provided further that if a candidate appointed on *ad hoc* basis or on contract basis had become overage on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such *ad hoc* or contract appointment: Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government : Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporation/Autonomous Bodies at

	the time of initial constitutions of such Corporation/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector, Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies. (1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchange or as the case may be. (2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discrection of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruits.	*Essential* : First Class Master Degree in Architecture from a University/Institution recognised by H. P./Central Government with five years experience in professional, teaching, industry and research at the appropriate levels. *Desireabte Qualification(s)* : (*i*) Ph.D. in Architecture. (*ii*) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.	*Age* : Not applicable *Educational Qualifications* : Not applicable
9. Period of probation, if any	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method of recruitment—whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.	100% by promotion failing which by direct recruitment.

11.	In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.	By promotion from amongst Sr. Lecturers (Architecture) who possess 3 years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* service rendered in the grade, if any, failing which by promotion from amongst the Sr. Lecturers (Architecture) who possess six years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* service rendered in the grade, if any, combined as Sr. Lecturer and Lecturers which shall include two years service essential as Senior Lecturers. (1) In all cases of promotion, the continuous *ad hoc* service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the *ad hoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R. & P. Rules: Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration: Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the R & P Rules for the post, whichever is less: Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion

	Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion, if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of the Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder. (2) Similarly in all cases of confirmation, *ad hoc* service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the *ad hoc* appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R & P Rules : Provided that *inter-se* seniority as a result of confirmation after taking into account *ad hoc* service as referred to above shall remain unchanged.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	As may be constituted by Government from time to time.
13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	As required under the law
14. Essential requirement for a direct recruitment.	A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.	Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of *viva voce* test, if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting authority as the case may be.

16. Reservation	The appointment of the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/other Backward Classes/other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination	Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the H. P. Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.
18. Powers to relax	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित